Popular Front of India

G-78,2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011-29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
1 अगस्त 2017

पॉपुलर फ्रंट ने बेबुनियाद आरोप लगाने पर 'टाईम्स नाव' को भेजा कानूनी नोटिस

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पर आधारित रिपोर्ट प्रसारित करेन पर टाईम्स नाव टेलीविज़न चैनल को संगठन ने एक कानूनी नोटिस भेजा है। टाईम्स नाव ने 23 जून को अपने प्राईम टाइम शो में एक न्यूज़ रिपोर्ट प्रसारित करने के अलावा ''अपफ्रंट इंडियाः किस तरह धर्म परिवर्तन की एक फैक्ट्री को राज्य में फलने फूलने की इजाज़त दी गई'' के टाईटल के तहत अपने ऑनलाइन पोर्टल पर भी उसे जारी किया था।

पूरी न्यूज़ रिपोर्ट फर्ज़ी दस्तावेज़ों पर आधारित धर्म परिवर्तन की मनगढ़त कहानी पेश करती है। इन बेबुनियाद दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए न्यूज़ चैनल ने संगठन को भी इससे जोड़ दिया। न्यूज़ रिपोर्ट में ''धर्म परिवर्तन के लिए रेट कार्ड'' के साथ दिखाए गए दस्तावेज़ कोई नए नहीं हैं, बल्कि पुरानी शराब को नई बोतल में भरकर पेश किया गया है। यह 2011 से ऑनलाइन पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। पॉपुलर फ्रंट पहले ही इस फर्ज़ी रेट कार्ड के खिलाफ पुलिस को कई एक शिकायतें दर्ज करवा चुका है। टाईम्स नाव ने ऐसे दस्तावेज़ को बुनियाद बनाकर एक पूरा प्राइम टाइम प्रोग्राम चलाया था, जो पूरे तौर पर फर्ज़ी और मनगढ़त है। न्यूज़ चैनल ने ऐसे दस्तावेज़ की जांच करने की अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी को भी नज़रअंदाज़ कर दिया।

न्यूज़ चैनल को आरोप वापस लेने के लिए एक रिज्वाइंडर भी भेजा गया, जिस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इस कारण चैनल को पंद्रह दिनों के अंदर बिना शर्त माफी जारी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहले भी दस समाचार पत्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उन्हें सेंसर किया गया।

डाएरेक्टर मीडिया एवं जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया